उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–14/2024–25

रतन किशोर मिश्र

बनाम्

गगेश्वरी देवी एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 20/2/24

प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन के आधार पर मौजा–गंगटा खूर्द नं0–515 के दाग नं0–242 के अंदर रकवा 00–04–00 धुर जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने सरकारी परती कदीम जमीन समझकर रामेश्वर महतो सैनिक के साथ बंदोवस्ती केस नं0–114/81–82 आदेश दिनांक–22.03.84 के द्वारा बंदोवस्त किया है। जबकि उक्त दाग नं0–242 रकवा 00–12–17 धुर जमीन राजा किरतानंद सिंह बहादूर के नाम से वकास्त मालिक कहकर दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को सैनिक के साथ बंदोवस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिक के साथ सरकारी जमीन की बंदोवस्त करने का शक्ति केवल उपायुक्त को है। इस प्रकार उपर्युक्त बंदोवस्ती सरकारी प्रावधान के विपरीत है। इसलिए वर्तमान अपील वाद को अंगीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि वर्तमान अपील वाद चालीस वर्ष के बाद दायर किया गया है। चूँकि वर्तमान अपील वाद कालबाधित है। इसलिए वर्तमान अपील वाद को अंगीकृत करना उचित नहीं होगा।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील के सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता ने बंदोवस्ती केस नं0–114/1981–82 के आदेश दिनांक–22.03.1984 के विरूद्ध वर्तमान अपील वाद लगभग 40 (चालीस) वर्ष के बाद दायर किया है एवं दायर अपील आवेदन के साथ काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के तहत दिये गये आवेदन में पर्याप्त कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अपील आवेदन

काल बाधित है। अतएव प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्त्ता का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.08.12 12:16:29 +05:30
Location: 192.168.1.54